कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0)

दूरभाष क्र.–07751–221004, फैक्सनं. 07751–221005

ई–मेल–collector-gpm@cg.gov.in, collectorgpm.cg@gmail.com

––:: आदेश ::––

क्रमांक /2631/ कले. / एस.डब्लू / 2021 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 14/06/2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 2611 / कले. / एस.डब्लू. / 2021 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा दिनांक 14.06.2021 को रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़–भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड–19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे–बड़े व्यवसायी गण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बंधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 2611 / कले. / एस.डब्लू. / 2021 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा जिला गौरेला– पेण्ड्रा–मरवाही के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 14.06.2021 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था उक्त आदेश को **मै, नम्रता गांधी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला गौरला–पेण्ड्रा–मरवाही अधिक्रमित करते हुए जिला गौरेला– पेण्ड्रा–मरवाही के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 21.06.2021 को रात्रि 12:00 बजे आगामी आदेश पर्यन्त तक कंटेनमेंट जोन घोषित करती हूँ।**

1. निम्नलिखित गतिविधियाँ आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :–
   - सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीमपार्क तथा सामूहिक भीड़–भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णता प्रतिबंधित रहेगें।
   - स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी।
2. कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो–रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून,

Scanned with CamScanner

ब्यूटी–पार्लर, स्पा, पार्क एवं जिम इत्यादि शनिवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय में शाम 08:00 बजे तक खोले जा सकेगें।

3. होटल, रेस्टोरेंट्स क्लब एवं बार (इन हाऊस डायनिंग / टेक–अवे हेतु सायं 08:00 बजे तक एवं होम डिलीवरी हेतु रात्रि 10:00 बजे तक) खुल सकेगें। आउट साइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन / टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक–अवे को प्राथमिकता देगें। क्लब–रेस्टोरेंट्स होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत् रात्रि 08:00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 तक ही रहेगा। होटलों में इन–हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति होगी।

4. वैवाहिक कार्यक्रम निवास–गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40–3 / 2020–डी.एम. / 1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल / मैरिज हॉल में **किसी एक आयोजन के दौरान संबंधित क्षेत्र / अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है, तथा दोनो पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल / गार्डन में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।**

5. **सामाजिक कार्यक्रम** निवास गृह / मैरिज गार्डन / अन्य सामाजिक कार्यक्रम स्थल सांस्कृतिक भवन, सामुदायिक भवन में निर्धारित क्षमता अनुरूप किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर ग्राउण्ड / भवन की क्षमता के 50 प्रतिशत या भवन / ग्राउण्ड की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें। जिनकी सूची मैरिज हॉल / गार्डन संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। **किसी एक आयोजन के दौरान संबंधित क्षेत्र / अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है, तथा सभी पक्षों को मिलाकर गार्डन / मैरिज हॉल / ग्राउण्ड में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।**

6. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1–2 / 2020 / 1–5 दिनांक 11.06.2021 अनुसार सभी कार्यालयों में दिनांक 14.06.2021 (दिन सोमवार) से सभी श्रेणी के

Scanned with CamScanner

अधिकारियों/कर्मचारियों की शत्–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें। कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड–19 के लिए निर्धारित निर्देशों यथा फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क धारण करने की शर्त पर शिथिल किया जाता है।

7. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकत्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

8. पेट्रोलपंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकाने पूर्ण समयावधि तक खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियाँ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।

9. जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही अंतर्गत मुख्य मार्ग/हाईवे पर संचालित ढाबा/रेस्टोरेंट्स को रात्रि कालीन खोलने हेतु अनुमति रहेगी किन्तु ढाबा/रेस्टोरेंट्स संचालक कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करेंगें मास्क धारण तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

10. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रण, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

11. सभी संचालित दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत् कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जाँच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

12. **प्रतिदिन शाम 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रि कालीन लॉक डाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयर हाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपात कालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।**

13. **प्रत्येक शनिवार को पूर्ण लॉक डाउन रखा जावेगा जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/ सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।**

Scanned with CamScanner

14. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दोपहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

15. आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रूप से मास्क धारण करें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग किया जाना अपेक्षित है।

16. मास्क तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान/मॉल/हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़–भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेंगा।

17. यह आदेश कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।

18. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के

Scanned with CamScanner

कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

यह आदेश दिनांक 14.06.2021 रात्रि 12:00 बजे से लागू होगा।

14/6

नम्रता गांधी (भा.प्र.से.)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0)

पृ.क्रमांक /2632/ कले./एस डब्लू/2021 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 14/06/2021

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर, को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर, संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड/मरवाही की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अनुविभागीय दण्डाधिकारी पेण्ड्रारोड/मरवाही की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. उप संचालक, जनसंपर्क, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशनार्थ प्रेषित।
8. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत गौरेला/पेण्ड्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गौरेला/पेण्ड्रा/मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ।

नम्रता गांधी (भा.प्र.से.)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0)

Scanned with CamScanner